न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग)

पीठासीन अधिकारी –अनुराग हरित (आर.ए.एस.)

दावा स ० 05/23 दायरदिनांक:24/07/2023

श्यामवीर पुत्र जलसिंह उर्फ जल्ली जाति गुर्जर निवासी गंगावक तहसील नगर (प्रार्थी)

बनाम

तहसीलदार साहब तहसील नगर राज. – अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय : दिनांक: 09-09-2024

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री प्रताप सिंह गुर्जर
2. पैरोकार सरकार।

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट दायर किया जाकर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी खसरा नबंर हाल 246/0.50,820/0.26, 830/0.39, 838/0.42, 839/ 0.36, 385/0.20, 811/0.47,812/0.24, 837/ 0.28, 638/0.70, 449/0.30, 458/0.16,461/0.53, 507/0.51, 508/0.40,5 12/0.21, 531/0.34, 533/0.36, 555/0.25 वाके ग्राम गंगावक, तहसील नगर में स्थित है। विवादित आराजी खसरा नबंरान वादी के पिता के नाम की खातेदारी की आराजी थी। वादी के पिता जल्ली फोत हो गये जिसका पटवारी हल्का द्वारा विरासत का दाखिल खारिज खोला गया उसमे प्रार्थी का नाम रामो पुत्र जल्ली दर्ज कर दिया।जबकि पटवारी हल्का द्वारा मृतक जल्ली के वारिसान की सही जांच नही की जबकि जल्ली के रामो नाम का कोई लडका ही नही है मात्र एक पुत्र है जिसका नाम श्यामवीर पुत्र जल सिंह उर्फ़ जल्ली है। जबकि प्राथी के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम श्यामवीर पुत्र जलसिंह दर्ज है।जबकि हल्का पटवारी ने सहवन से विरासत का दाखिल खारिज खोलते समय जल्ली के पुत्र श्यामवीर के स्थान पर रामो दर्ज कर दिया जो कानूनन गलत है। इसलिए प्रार्थी उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में रामो पुत्र जल्ली के स्थान पर श्यामवीर पुत्र जलसिंह उर्फ जल्ली दुरुस्त करा पाने का अधिकारी है।

अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी के द्वारा अपना आधार कार्ड,माध्यमिक परीक्षा की मार्कशीट,जाति प्रमाण पत्र ,राशन कार्ड , जॉब कार्ड आदि प्रस्तुत किए है। इंतकाल संख्या 260 का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार नगर से रिपोर्ट ली गई।प्राप्त रिपोर्ट जो की संलग्न पत्रावली है ,के मुताबिक़ पटवारी हल्का गंगावक मे प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्यामवीर पुत्र जलसिंह उर्फ जल्ली का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जरिए विरासत नामा. सं. 270 से दर्ज हुआ है। ग्राम में जांच करने पर पाया गया कि जल्ली उर्फ जलसिंह के एक ही पुत्र है, जिसका दस्तावेजों यथा आधार कार्ड व मार्कशीट में नाम श्यामवीर है और जिसे ग्राम में सभी रामो के नाम से जानते हैं। रामो व श्यामवीर पुत्र जल्ली उर्फ जलसिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। इस नाम का अन्य व्यक्ति ग्राम में निवास नहीं करता है। साथ ही उक्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत मार्कशीट, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की प्रतिलिपि पटवारी हल्का को उपलब्ध कराई गई जिनमें सही नाम श्यामवीर पुत्र जलसिंह अंकित है।अतः मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का के व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रार्थी का नाम रामो के स्थान पर श्यामवीर शुद्ध किया जाना उचित है।प्रार्थी के कथन के समर्थन में प्रार्थी की माता वह बहन ने शपथ पत्र दिया तथा सरपंच ग्राम पंचायत गंगावक द्वारा प्रार्थी के कथन की तस्दीक़ की गई ।

आदेश

अतः उपरोक्त के आधार पर प्रार्थी श्री श्यामवीर पुत्र जलसिंह का उपरोक्त वर्णित विवादित आराज़ी में राजस्व रिकॉर्ड में नाम रामो पुत्र जल्ली के स्थान पर श्यामवीर पुत्र जलसिंह करने के एतदद्वारा आदेश दिये जाते है। इस आशय का अहकाम जारी हो । फ़ैसला सरेईजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(अनुराग हरित)RAS
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)